

न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर  
राजस्व अपील संख्या 45/2019 (2019/00296)

1. श्रीमती सन्तोष धर्मपत्नि स्व० श्री महेन्द्र सिंह जाति रावत  
निवासी ग्राम बडल्या, तहसील व जिला-अजमेर। ..... अपीलान्त  
बनाम ..... रespoडेन्ट  
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

- उपस्थित :- 1. श्री मौहम्मद इकबाल  
2. श्री हेमराज राठौड  
अभिभाषक अपीलार्थी  
राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक :- 20.02.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सम्वत् 2075 में अपीलान्त द्वारा ग्राम बडल्या तहसील अजमेर व जिला-अजमेर स्थित आराजी खसरा सं० 676 रकबा 2-40 हैक्टर किस्म बीड (चरागाह) मे से 0-03 हैक्टर पर अनाधिकृत रूप से पक्का मकान एवं बाडा निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार प्रथम, अजमेर द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 14/2019 पंजीबद्ध कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 29.08.2019 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली एवं शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्त द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 29.08.2019 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रespoडेन्ट्स को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रespoडेन्ट्स की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

वकील अपीलान्त ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। ग्राम बडल्या की खसरा नं० 676 की प्रश्नगत आराजी पर अपीलान्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से यानि करीब 50 वर्षों से भी अधिक समय से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वर्तमान में प्रश्नगत आराजी अजमेर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आने से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय को नहीं है। इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलान्त को बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। बहस जारी रखते हुए अभिभाषक अपीलान्त ने आगे कथन किया कि नायब तहसीलदार प्रथम, अजमेर द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधिक प्रावधानों के विपरीत आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, जो काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्त की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय बीड (चरागाह) भूमि पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी के



W. K. K.

जिला कलक्टर  
अजमेर

आधार पर प्रकरण दर्ज कर, अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक प्रावधानों के तहत होने से अपील अपीलान्त अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है। राजकीय बीड (चरागाह) भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर नायब तहसीलदार द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर पारित आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस, पर्याप्त आधार स्पष्ट नहीं होने से अपील खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2019 यथावत खड़ा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.02.2020 को सरे इजलास

सुनाया गया।

*V. Sharma*

(विश्व मोहन शर्मा)  
जिला कलक्टर,  
अजमेर

